



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14012022-232643  
CG-MH-E-14012022-232643

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2022/पौष 24, 1943

No. 23]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2022/PAUSHA 24, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 14 जनवरी, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/62.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15अख, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23अक और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19अक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 में –
  - विनियम 4 में, उप-विनियम (2) हट जाएगा।
  - विनियम 5 में, उप-विनियम (2) में, खंड (i) में, शब्दों तथा चिह्न “का प्रभाव पूरे बाजार पर पड़ा हो,” के बाद, शब्द “या” जोड़ा जाएगा।

(3) विनियम 6 में, उप-विनियम (1) में,-

- (क) शब्दों “निम्नलिखित आधारों पर” के बाद और शब्दों “किसी भी समय नामंजूर किया जा सकेगा” से पहले, शब्द “भी” जोड़ा जाएगा;
- (ख) खंड (ख) में, शब्दों तथा चिह्नों “बोर्ड द्वारा मांगी गई जानकारी, दस्तावेज,” के बाद और शब्दों “आदि प्रस्तुत न करे” से पहले, शब्द और चिह्न “निपटारे की संशोधित शर्तें,” जोड़े जाएंगे;
- (ग) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
- “(च) जहाँ आवेदक निपटारे से पहले पूरी की जाने वाली शर्त (शर्तों) का पालन उतने समय के भीतर नहीं करता, जितने समय के भीतर आंतरिक समिति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए।”

(4) विनियम 9 में,-

(क) उप-विनियम (2) में,

(i) खंड (झ) में, चिह्न “।” के स्थान पर, चिह्न “;” आ जाएगा;

(ii) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(ज) किसी निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार (सिक्कूरिटीज़ मार्केट) में पहुँच रखने से रोकना और/या प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री या अन्य किसी प्रकार का लेनदेन करने और प्रतिभूति बाजार से किसी भी प्रकार से जुड़ने से प्रतिषिद्ध करना।”;

(ख) उप-विनियम (4) में, स्पष्टीकरण में, शब्दों “न्यायालय से समुचित आदेश प्राप्त करने के लिए किए जाएँ” के बाद, शब्द तथा चिह्न “और जिनमें बोर्ड द्वारा किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रायब्युनल) के समक्ष ऐसे आवेदन से संबंधित किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में किए गए अन्य खर्चे भी शामिल हैं” जोड़े जाएँगे।

(5) विनियम 13 में, उप-विनियम (2) में,

(क) खंड (ख) के बाद, एक नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(खक) निपटारे के लिए किए गए आवेदन पर विचार करने के लिए आवेदक को पहले पूरी की जाने वाली शर्त (शर्तों) का पालन निर्धारित समयवधि के भीतर करने के लिए कह सकेगी।”;

(ख) खंड (ग) में,-

(i) शब्द “दस” के स्थान पर, शब्द “पंद्रह” आ जाएगा;

(ii) चिह्न “:” के स्थान पर, चिह्न “।” आ जाएगा;

(iii) परंतुक हट जाएगा।

(6) विनियम 15 में, उप-विनियम (2) में, खंड (क) में -

(क) चिह्न तथा शब्द “, और यह अवधि पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा, ऐसे कारणों से जिन्हें दर्ज किया जाए, साठ कलेंडर दिनों तक केवल तभी बढ़ाई जा सकेगी जब समय बढ़ाने के संबंध में किया जाने वाला आवेदन माँग की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए” हट जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में, शब्दों तथा चिह्नों “निपटारे की रकम निर्धारित बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए या फिर भुगतान के किसी अन्य प्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे जमा करके प्रेषित की जाएगी” के स्थान पर, शब्द “निपटारे की रकम इस प्रयोजनार्थ अलग से प्रदान किए गए पेमेंट गेटवे के जरिए अदा करके प्रेषित की जाएगी” आ जाएंगे;

(ग) पहला परंतुक हट जाएगा;

(घ) दूसरे परंतुक में,-

(i) शब्द “और” हट जाएगा;

(ii) शब्द “नब्बेवें” के स्थान पर, शब्द “तीसवें” आ जाएगा।

(7) विनियम 26 में, शब्दों तथा चिह्नों “बोर्ड निपटारे की स्कीम के तहत, किसी भी वर्ग के व्यक्तियों (जो एक ही जैसी किन्हीं निर्धारित चूकों में शामिल हों) के लिए, निर्धारित कार्यवाहियों के निपटारे की प्रक्रिया और निपटारे की शर्तें आदि निर्धारित कर सकेगा” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “बोर्ड किसी भी वर्ग के व्यक्तियों (जो एक ही जैसी किन्हीं निर्धारित चूकों में शामिल हों) के लिए, निपटारे की स्कीम निर्धारित कर सकेगा” आ जाएंगे।

(8) विनियम 31 में,-

(क) शब्दों, चिह्न तथा अंक “प्रक्रिया में या निपटारे की रकम की गणना में किसी खामी के आधार पर अथवा अध्याय-V के तहत किसी समिति में कोई पद खाली रहने पर या उस समिति के गठन में किसी खामी के आधार पर शून्य हो जाएगी” के स्थान पर, शब्द, चिह्न तथा अंक “प्रक्रिया में या निपटारे की शर्तें आदि तय किए जाने में किसी खामी के आधार पर अथवा अध्याय-V के तहत किसी समिति में कोई पद खाली रहने पर या उस समिति के गठन में किसी खामी के आधार पर अमान्य नहीं होगी” आ जाएंगे;

(ख) पहले परंतुक में, शब्दों “निपटारे की रकम की गणना” के स्थान पर, शब्द “निपटारे की शर्तें आदि तय किए जाने” आ जाएंगे;

(ग) दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण.- शंकाएँ दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के तहत जितनी रकम का अंतर पाया जाए उतनी रकम मांगने का अधिकार होगा, और जिन उल्लंघनों के संबंध में निर्धारित कार्यवाहियाँ शुरू की गई हों उन उल्लंघनों की वजह से जितना मुनाफा कमाया गया हो या जितना नुकसान बचाया गया हो वह रकम भी इसमें हमेशा से ही शामिल मानी जाएगी।”

(9) विनियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा, अर्थात्,-

#### “शमन की प्रक्रिया

33. अध्याय-IV से अध्याय-VI तथा अनुसूची-II के प्रावधान शमन के आवेदन पर कार्यवाही करते समय शर्तें आदि तय किए जाने के संबंध में *यथावश्यक परिवर्तन सहित* लागू हो सकेंगे।”

(10) अनुसूची-I में,

(क) भाग-क में, खंड 13 में, शब्दों तथा चिह्नों “किस चरण पर लंबित है (हैं)” के बाद, चिह्न तथा शब्द “[साथ ही, बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी (अड्जुडिकेटिंग ऑफिसर) द्वारा दिए गए सुनवाई के अवसर (यदि कोई हो) के भी ब्यौरे दें]” जोड़े जाएंगे;

(ख) भाग-ख में, शब्दों तथा चिह्नों “अप्रतिदेय (लौटाई न जाने वाली) प्रोसेसिंग फीस बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के जरिए या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे जमा करके अदा करेगा” के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न “प्रोसेसिंग फीस (जो लौटाई नहीं जाएगी) इस प्रयोजनार्थ अलग से प्रदान किए गए पेमेंट गेटवे के जरिए अदा करेगा” आ जाएंगे।

(11) अनुसूची-II में,-

(क) अध्याय-I में, खंड 2 में,

i. शब्दों “से कम नहीं होगी” के बाद दिए हुए चिह्न “:” के स्थान पर चिह्न “।” आ जाएगा;

ii. परंतुक हट जाएगा;

(ख) अध्याय-II में, खंड 5 हट जाएगा;

(ग) अध्याय-III में, सारणी-I के स्थान पर निम्नलिखित सारणी आ जाएगी:

## “सारणी-I

## प्रोसीडिंग कन्वर्जन फैक्टर

निपटारे का आवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय कार्यवाही (कार्यवाहियों) की अवस्था		पीसीएफ का मान (वैल्यू)
क.	स्वेच्छा से या गोपनीयता की मांग करते हुए निपटारे के लिए	0.40
ख.	कारण बताओ सूचना (नोटिस) / संक्षिप्त निपटारे की सूचना जारी होने से पहले	0.50
ग.	उसी बाद हेतुक (काँज़ ऑफ़ एकशन) में किसी लंबित कार्यवाही के संबंध में पहली कारण बताओ सूचना (नोटिस) जारी होने के बाद	0.65
घ.	नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी (डेसिगनेटेड अथॉरिटी) द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद लंबित कार्यवाही	0.80
ङ.	अंतिम आदेश [जिसके माध्यम से, यथास्थिति, शास्ति (पेनल्टी) लगाई गई हो या सिविल और प्रशासनिक निदेश जारी किए गए हों] पारित किए जाने के बाद लंबित कार्यवाहियाँ	1.20
च.	प्रतिभूति अपीलिय न्यायाधिकरण (सैट) या न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद लंबित कार्यवाहियाँ	1.50”

## (घ) अध्याय-V में,-

- (i) खंड I में, शब्दों, चिह्नों और अंक “जिसका आधार मान ‘-0.2’ होगा जो केवल एक बार ही लगाया जाएगा फिर चाहे सभी के लिए लगाया जाए या किसी एक या एक से अधिक के लिए लगाया जाए” के स्थान पर शब्द, चिह्न और अंक “जिसका आधार मान उनमें से प्रत्येक के लिए ‘-0.2’ होगा (जहाँ भी लागू हो), किंतु जिसकी अधिकतम सीमा 3 होगी” आ जाएंगे;
- (ii) खंड II में, शब्दों, चिह्नों और अंक “जिसका आधार मान ‘0.2’ होगा जो केवल एक बार ही लगाया जाएगा फिर चाहे सभी के लिए लगाया जाए या किसी एक या एक से अधिक के लिए लगाया जाए” के स्थान पर शब्द, चिह्न और अंक “जिसका आधार मान उनमें से प्रत्येक के लिए ‘0.2’ होगा (जहाँ भी लागू हो), किंतु जिसकी अधिकतम सीमा 3 होगी” आ जाएंगे;
- (iii) खंड III में, शब्दों, चिह्नों और अंक “जिसका आधार मान ‘0.25’ होगा जो केवल एक बार ही लगाया जाएगा फिर चाहे सभी के लिए लगाया जाए या किसी एक या एक से अधिक के लिए लगाया जाए” के स्थान पर शब्द, चिह्न और अंक “जिसका आधार मान उनमें से प्रत्येक के लिए ‘0.25’ होगा (जहाँ भी लागू हो), किंतु जिसकी अधिकतम सीमा 3 होगी” आ जाएंगे;

## (ङ) अध्याय-VI में,-

- (i) सारणी-VII और सारणी-VII की टिप्पणियों के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा:

## “सारणी-VII

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम - 1997/2011 के तहत प्रकटीकरणों (डिस्क्लोज़र) से संबंधित कथित चूक के लिए आधार राशि	
उस शेयरधारिता या उन मताधिकारों का प्रतिशत, जिनका अर्जन किया गया हो या जिन्हें बेचा आदि गया हो किंतु जिनके संबंध में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) न किया गया हो अथवा ऋण-भार वाले उन शेयरों का प्रतिशत	आधार राशि

जिनके संबंध में प्रकटीकरण न किया गया हो, आदि	वर्ष 1997 के विनियमों के विनियम 7 या वर्ष 2011 के विनियमों के विनियम 29 के उल्लंघन के लिए (I)	वर्ष 1997 के विनियमों के विनियम 8 या वर्ष 2011 के विनियमों के विनियम 30 के उल्लंघन के लिए (II)	वर्ष 1997 के विनियमों के विनियम 8क या वर्ष 2011 के विनियमों के विनियम 31 के उल्लंघन के लिए (III)
2% से कम	2 लाख रुपये + 5,000 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए		
2% या उससे अधिक (किंतु 5% से कम)	4 लाख रुपये + 10,000 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए		
5% या उससे अधिक (किंतु 10% से कम)	7 लाख रुपये + 15,000 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए		
10% या उससे अधिक (किंतु 15% से कम)	9 लाख रुपये + प्रकट न की गई धारिता (होलिंग), आदि के मूल्य का 0.1 % + 20,000 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए		
15% और उससे अधिक	10 लाख रुपये + प्रकट न की गई धारिता (होलिंग), आदि के मूल्य का 0.1 % + 25,000 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए		

### सारणी-VII की टिप्पणियाँ:

1. सारणी-VII उन मामलों में लागू नहीं है, जहाँ प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) संबंधी उल्लंघन कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (एफयूटीपी) या अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) के साथ-साथ किया गया हो।

स्पष्टीकरण: उस समय किए गए लेनदेन (डीलिंग) को अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) माना जा सकेगा, जब वित्त संबंधी या शेयरधारिता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी हो।

2. ऊपर (II) में उल्लिखित उल्लंघन के लिए आधार राशि केवल निम्नतम स्तर के अनुसार ही होगी, फिर चाहे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान शेयरधारिता में कितना भी बदलाव क्यों न हुआ हो। जो प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) वार्षिक आधार

पर किए जाते हों, उन प्रकटीकरणों से संबंधित उल्लंघनों के मामले में, प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए रकम की गणना प्रकटीकरण से संबंधित पहले उल्लंघन के लिए ही की जाएगी। यदि नोटिसी कुछ वर्षों तक वार्षिक रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं का पालन करता है, तो इस प्रकार कुछ वर्षों तक किए गए पालन के मद्देनजर रकम इस तरह से तय की जाएगी कि वह उन मामलों में तय की जाने वाली रकम से ज्यादा न हो जिनमें लगातार उल्लंघन किए गए हों।

3. देरी की अवधि की गणना उस अंतिम दिन से की जाएगी, जिस दिन विनियमों के अनुसार प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) किया जाना चाहिए था।
4. यदि किसी उल्लंघन की जानकारी (प्रकटीकरण / डिस्कलोज़र) 4 तिमाहियों से ज्यादा की अवधि बीत जाने के बाद दी जाती है, तो ऐसे में भी अधिकतम उतना मूल्य ही अदा किया जाएगा जितना 4 तिमाहियों की देरी करने के संबंध में निर्धारित किया गया है।
5. यदि किसी एक ही तिमाही के दौरान एक से ज्यादा बार हुए बदलावों (ट्रांज़ैक्शन) की जानकारी नहीं दी जाती (डिस्कलोज़र नहीं किया जाता), तो ऐसे में जिस मामले में सबसे ज्यादा बदलाव आया हो और जिस मामले में सबसे ज्यादा देरी हुई हो, उसके आधार पर आधार राशि तय की जा सकेगी, फिर भले ही उल्लंघन कितनी बार ही क्यों न हुआ हो।”;

(ii) सारणी-VIII और सारणी-VIII की टिप्पणियों के स्थान पर निम्नलिखित आ जाएगा:

**“सारणी-VIII**

आधार राशि - वर्ष 1992 के अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध संबंधी विनियमों के विनियम 13(3), 13(4), 13(4क) और विनियम 13(6) के तहत लेनदेन (ट्रांज़ैक्शन) से संबंधित प्रकटीकरणों [जिनमें वर्ष 2015 के अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध संबंधी विनियमों के तहत लेनदेन (ट्रांज़ैक्शन) से संबंधित वैसे ही प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) शामिल हैं] के संबंध में कथित चूक	
उस शेयरधारिता या उन मताधिकारों का प्रतिशत, जिनका अर्जन किया गया हो या जिन्हें बेचा आदि गया हो किंतु जिनके संबंध में प्रकटीकरण न किया गया हो अथवा ऋण-भार वाले उन शेयरों का प्रतिशत जिनके संबंध में प्रकटीकरण न किया गया हो, आदि	आधार राशि
2% से कम	2 लाख रुपये + 7,500 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए
2% से अधिक (किंतु 5% से कम)	4 लाख रुपये + 12,500 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए
5% से अधिक (किंतु 10% से कम)	7 लाख रुपये + 17,500 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए
10% से अधिक (किंतु 15% से कम)	9 लाख रुपये + प्रकट न की गई धारिता (होल्डिंग), आदि के मूल्य का 0.1% + 22,500 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए
15% और उससे अधिक	10 लाख रुपये

	+ प्रकट न की गई धारिता (होलिंडग), आदि के मूल्य का 0.1% + 25,000 रुपये - प्रत्येक तीन महीने या उसके किसी हिस्से की देरी के लिए
--	--

**सारणी-VIII की टिप्पणियाँ :**

1. संबंधित व्यक्तियों या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों की ओर से हुए प्रकटीकरण (डिस्कलोजर) संबंधी उल्लंघनों के संबंध में, आधार राशि 25% तक बढ़ाई जा सकेगी।
2. सारणी-VIII उन मामलों में लागू नहीं है, जहाँ प्रकटीकरण (डिस्कलोजर) संबंधी उल्लंघन कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार या अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) के साथ-साथ किया गया हो।

स्पष्टीकरण: उस समय किए गए लेनदेन (डीलिंग) को अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) माना जा सकेगा, जब वित्त संबंधी या शेयरधारिता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी हो।

3. यदि किसी उल्लंघन की जानकारी (प्रकटीकरण / डिस्कलोजर) 4 तिमाहियों से ज्यादा की अवधि बीत जाने के बाद दी जाती है, तो ऐसे में भी अधिकतम उतना मूल्य ही अदा किया जाएगा जितना 4 तिमाहियों की देरी करने के संबंध में निर्धारित किया गया है।
4. यदि किसी एक ही तिमाही के दौरान एक से ज्यादा बार हुए बदलावों (ट्रांजैक्शन) की जानकारी नहीं दी जाती (डिस्कलोजर नहीं किया जाता), तो ऐसे में जिस मामले में सबसे ज्यादा बदलाव आया हो और जिस मामले में सबसे ज्यादा देरी हुई हो, उसके आधार पर आधार राशि तय की जा सकेगी, फिर भले ही उल्लंघन कितनी बार ही क्यों न हुआ हो।”;

(iii) सारणी-IX में, शब्दों “विदेशी संस्थागत निवेशकों” के स्थान पर शब्द “विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों” आ जाएंगे।

(iv) सारणी-X के स्थान पर निम्नलिखित सारणी आ जाएगी:

**“सारणी-X**

प्रत्येक आवेदक की हर कथित चूक के लिए या संयुक्त देनदारी (दायित्व) के आधार पर शेष आधार राशि (संयुक्त आवेदकों के मामले में लागू राशि के योग के अनुसार)					
आधार राशि जहाँ :	जिनके नाम का इस्तेमाल हुआ हो उनके मामले में# (I)	निगमित निकायों (बॉडी कारपोरेट) एवं व्यक्तियों [जो I, III-V के अंतर्गत न आते हों] के मामले में (II)	मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) [जिसमें मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) शामिल हैं] के मामले में (III)	बाजार की बुनियादी संस्थाओं (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्यूशन) [जिनमें मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) शामिल हैं] के मामले में (IV)	फंड (निधि) से संबंधित चूकों [जिनमें मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) शामिल हैं] के मामले में (V)
कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (एफयूटीपी) या अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग / आईटी) से संबंधित चूक की गई	10 लाख रुपये	40 लाख रुपये	20 लाख रुपये	2 करोड़ रुपये	40 लाख रुपये

<p>हो, प्रस्ताव दस्तावेजों (ऑफर डॉक्यूमेंट) में मिथ्या / भ्रामक / गलत / अधूरे प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) किए गए हों या बाजार की बुनियादी संस्थाओं द्वारा उस प्रकार कारबार का संचालन न किया जा रहा हो जैसा अपेक्षित हो (ड)</p>					
<p>जहाँ ऐसा उल्लंघन हुआ हो जिसका उल्लेख (ड) में किया गया है और, - ऐसे उल्लंघन से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से - (I) अन्य व्यक्तियों को काफी नुकसान हुआ हो, या (II) अन्य व्यक्तियों को काफी नुकसान हुआ हो या नुकसान होने का काफी जोखिम पैदा हो गया हो या (III) प्रतिभूति बाजारों (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) की सत्यनिष्ठा पर असर पड़ा हो (ड)##</p>	20 लाख रुपये	1 करोड़ रुपये	30 लाख रुपये	4 करोड़ रुपये	75 लाख रुपये
<p>निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने में देरी हुई हो</p>	-	3 लाख रुपये	5 लाख रुपये	7 लाख रुपये	10 लाख रुपये



(ण)					
शेष (त)	3 लाख रुपये	10 लाख रुपये	10 लाख रुपये	1 करोड़ रुपये	15 लाख रुपये

#जिनके नाम का इस्तेमाल हुआ हो' उनमें वे आवेदक (जो व्यक्ति हों) शामिल होंगे, जिनके इस पक्ष से आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल संतुष्ट हो कि जहाँ तक उल्लंघन में उनके शामिल होने का सवाल है, तो वह गैर-कानूनी कार्य उनकी जानकारी के बिना ही हुआ है और उन्होंने तो केवल प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) संबंधी अपने खाते (सिक्क्यूरिटीज़ अकाउंट) या अपने नाम या अपनी किसी सुविधा का इस्तेमाल करने की अनुमति आदि मुख्य रूप से शामिल व्यक्ति (की-ऑपरेटर) या एंटीटियों या मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) की बुनियादी संस्था (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशन) को दी थी। इसके अलावा, 'जिनके नाम का इस्तेमाल हुआ हो' उनमें वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जिनका जिक्र इस रूप में या तो अन्वेषण (इन्वेस्टीगेशन) रिपोर्ट में या कारण बताओ सूचना (शो कॉज़ नोटिस) में या फिर न्यायनिर्णायक अधिकारी (अजूडिकेटिंग ऑफिसर) / भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) / न्यायालय / न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) के आदेश में किया गया हो। निपटारे की शर्तें आदि तय करते समय, आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा ऐसी किसी संबंधित बात पर गौर किया जा सकेगा जो भी आवेदक द्वारा बताई जाए, जैसे कि आवेदक की वार्षिक आय कितनी है, पहले का और वर्तमान का ट्रेडिंग पैटर्न क्या है, ट्रेड कितने-कितने समय में हुआ और कितनी-कितनी रकम के ट्रेड हुए।

##गंभीर उल्लंघनों के मामले में ऐसी अतिरिक्त शर्तें आदि भी लगाई जा सकती हैं, जैसे प्रबंधन (मैनेजमेंट) संबंधी फीस वापस सौंपने (को डिस्ऑर्ज करने) को कहा जा सकता है या फिर कोई और शर्तें भी लगाई जा सकती हैं जैसा भी आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा तय किया जाए।

#### सारणी-X की टिप्पणियाँ :

1. एक से अधिक आधार राशि के लागू होने के मामले में, उस आधार राशि पर विचार किया जाएगा जो सबसे अधिक हो।
2. इस अनुसूची में, 'मुख्य अधिकारी' का अर्थ है - वह व्यक्ति जो अधिनियम (वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 27 के दायरे में आता हो।
3. 'पैसे' (निधि / फंड) का अर्थ है - आनुकल्पिक निवेश निधि (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड/ एआईएफ), पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड / एमएफ), सामूहिक निवेश स्कीम (कलैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम / सीआईएस) और पूलिंग का कोई दूसरा इंतजाम जिसके लिए बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण लेना जरूरी हो।
4. इस सारणी के (II) में उल्लिखित 'निगमित निकाय' (बॉडी कारपोरेट) में ऐसा कोई आवेदक शामिल है, जो (I) और (III) से (V) के अंतर्गत न आते हों।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./578/2021-22]

#### पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2018/48 द्वारा, 30 नवम्बर 2018 को (1 जनवरी 2019 से लागू) भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 तत्पश्चात्:-  
(1) 22 जुलाई 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.टी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/24, द्वारा संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 14th January, 2022

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SETTLEMENT PROCEEDINGS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022**

**No SEBI/LAD-NRO/GN/2022/62.**—In exercise of the powers conferred by Section 15JB of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Section 23JA of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 19-IA of the Depositories Act, 1996 read with Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) (Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018-
  - (1) in regulation 4, sub-regulation (2) shall be omitted.
  - (2) in regulation 5, in sub-regulation (2), in clause (i), after the words and symbol “has market wide impact,”, the word “or”, shall be inserted.
  - (3) in regulation 6, in the sub-regulation (1), -
    - (a) after the words “An application may” and before the words “at any time be rejected”, the word “also”, shall be inserted;
    - (b) in the clause (b), after the words and symbols “delays the submission of information, document,” and before the words and symbols “etc., as called for by the Board”, the words and symbol “Revised Settlement Terms, ”, shall be inserted;
    - (c) after the clause (e), following clause shall be inserted, namely, -
 

“(f) Where the applicant fails to comply with the condition precedent(s) for settlement within the time as required by the Internal Committee.”
  - (4) in regulation 9, -
    - (a) in sub-regulation (2),
      - (i) in clause (i), for the symbol ‘.’, the symbol ‘;’ shall be substituted;
      - (ii) after clause (i), following clause, shall be inserted, namely, -
 

“(j) Restraining from accessing the securities market and/or prohibiting from buying, selling or otherwise dealing in securities, directly or indirectly and associating with the securities market in any manner for a specific period.”;
    - (b) in sub-regulation (4), in the Explanation after the word and figure “regulation 24” the words “and include other expenses incurred by the Board in any other proceeding before any Court or Tribunal in respect of such application” shall be inserted.
  - (5) in regulation 13, in sub-regulation (2),
    - (a) after clause (b), a new clause shall be inserted, namely, -
 

“(ba) require the applicant to comply with certain condition precedent(s) within a specified time period for consideration of the application for settlement.”;
    - (b) in clause (c), -
      - (i) for the word “ten” the word “fifteen”, shall be substituted;
      - (ii) for the symbol ‘:’, the symbol ‘.’ shall be substituted;
      - (iii) the proviso to clause (c) shall be omitted.

- (6) in regulation 15, in sub-regulation (2), in clause (a) -
- (a) the words and symbols “, which may be extended by the Panel of Whole Time Members for reasons to be recorded, by sixty calendar days, only after receipt of an application seeking extension of time within thirty days from the date of receipt of notice of demand” shall be omitted;
  - (b) in the Explanation, for the words and symbols “direct credit in the specified bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other authorized electronic mode of payment”, the words “payment through the dedicated payment gateway provided for the purpose” shall be substituted;
  - (c) the first proviso shall be omitted;
  - (d) in the second proviso, -
    - (i) the word “further” shall be omitted;
    - (ii) for the word “ninetieth”, the word “thirtieth” shall be substituted.
- (7) in regulation 26, the words “the procedure and terms of settlement of specified proceedings under” shall be omitted.
- (8) in regulation 31, -
- (a) for the words “void on ground of any defect in procedure or calculation of the settlement amount”, the words “invalidated on ground of any defect in procedure or determination of the settlement terms” shall be substituted;
  - (b) in the first proviso, for the words “calculation of the settlement amount”, the words “arriving at the settlement terms” shall be substituted;
  - (c) after the second proviso, the following explanation shall be inserted, namely, -
 

“Explanation. – For the removal of doubts, it is clarified that the power to seek the difference under this regulation shall include and always be deemed to have included the profits gained or losses avoided out of the violations for which the specified proceedings also have been initiated.”
- (9) in regulation 33 for the words “arriving at a proposal pursuant to”, the words “determining the terms while processing”, shall be substituted.
- (10) in Schedule I,
- (a) in Part A, in clause 13, after the word “pending”, the words and symbol “, including details of hearing opportunity given by the Board or AO, if any”, shall be inserted;
  - (b) in Part B, for the words and symbols “direct credit in the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or any other electronic mode allowed by RBI:”, the words and symbol “payment through the dedicated payment gateway provided for the purpose:” shall be substituted.
- (11) in Schedule II, -
- (a) in Chapter I, in clause 2,
    - i. after the words “case may be”, for the symbol “:”, the symbol “.”, shall be substituted;
    - ii. the proviso shall be omitted;
  - (b) in Chapter II, clause 5 shall be omitted;
  - (c) in Chapter III, for the Table I, the following table shall be substituted:

“TABLE-I

## PROCEEDING CONVERSION FACTOR

STAGE OF THE PROCEEDING(S) WHEN THE SETTLEMENT APPLICATION IS FILED		VALUE OF PCF
a.	Voluntary or for seeking settlement with confidentiality	0.40

STAGE OF THE PROCEEDING(S) WHEN THE SETTLEMENT APPLICATION IS FILED		VALUE OF PCF
b.	Pre- issue of the notice to show cause/Summary Settlement	0.50
c.	Post-issue of the first notice to show cause pertaining to any pending proceeding in the same cause of action	0.65
d.	Proceeding pending after the submission of the report by the Designated Authority	0.80
e.	Proceedings pending after passing of a final order imposing penalty or issuing civil and administrative directions, as the case may be	1.20
f.	Proceedings pending after the passing of the order by the Securities Appellate Tribunal or Court	1.50"

(d) in Chapter V, -

- (i) in clause I, the words "applied once for all or any of them" shall be substituted by words, symbol and figure "for each of them wherever applicable, subject to a maximum limit of 3";
- (ii) in clause II, the words "applied once for all or any of them" shall be substituted by words, symbol and figure "for each of them wherever applicable, subject to a maximum limit of 3";
- (iii) in clause III, the words "applied once for all or any of them" shall be substituted by words, symbol and figure "for each of them wherever applicable, subject to a maximum limit of 3";

(e) in Chapter VI, -

- (i) for Table VII and notes to Table VII, the following shall be substituted:

**"TABLE-VII**

BASE AMOUNT FOR ALLEGED DEFAULT RELATING TO DISCLOSURES UNDER SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS -1997/2011			
PERCENTAGE OF SHAREHOLDING OR VOTING RIGHTS ACQUIRED OR DISPOSED BUT NOT DISCLOSED OR PERCENTAGE OF ENCUMBERED SHARES BUT NOT DISCLOSED, ETC.	BASE AMOUNT FOR VIOLATION OF		
	REGULATION 7 OF 1997 REGULATIONS OR REGULATION 29 OF 2011 REGULATIONS (I)	REGULATION 8 OF 1997 REGULATIONS OR REGULATION 30 OF 2011 REGULATIONS (II)	REGULATION 8A OF 1997 REGULATIONS OR REGULATION 31 OF 2011 REGULATIONS (III)
Less than 2%	Rupees 2 lakh + Rupees 5,000/- For every three months delay <sup>#</sup> or part thereof		
2% to less than 5%	Rupees 4 lakh + Rupees 10,000/- For every three months delay or part thereof		
5% to less than 10%	Rupees 7 lakh + Rupees 15,000/- For every three months delay or part thereof		
10 % to less than 15%	Rupees 9 lakh + 0.1 % of the value of the holding not disclosed, etc. + Rupees 20,000/- For every three months delay or part thereof		

<b>BASE AMOUNT FOR ALLEGED DEFAULT RELATING TO DISCLOSURES UNDER SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS -1997/2011</b>			
<b>PERCENTAGE OF SHAREHOLDING OR VOTING RIGHTS ACQUIRED OR DISPOSED BUT NOT DISCLOSED OR PERCENTAGE OF ENCUMBERED SHARES BUT NOT DISCLOSED, ETC.</b>	<b>BASE AMOUNT FOR VIOLATION OF</b>		
	<b>REGULATION 7 OF 1997 REGULATIONS OR REGULATION 29 OF 2011 REGULATIONS (I)</b>	<b>REGULATION 8 OF 1997 REGULATIONS OR REGULATION 30 OF 2011 REGULATIONS (II)</b>	<b>REGULATION 8A OF 1997 REGULATIONS OR REGULATION 31 OF 2011 REGULATIONS (III)</b>
15% and above	Rupees 10 lakh + 0.1 % of the value of the holding not disclosed, etc. + Rupees 25,000/- For every three months delay or part thereof		

**Notes to Table VII:**

1. Table VII is not applicable in cases where the disclosure related violation is in combination with Fraudulent and Unfair Trade Practices or Insider Trading.

Explanation: Dealing while in possession of material financial or shareholding information may be treated as Insider Trading.

2. The BA for violation at (II) shall only be as per the lowest slab, irrespective of change in shareholding over the reporting period. In case of violations related to disclosures that are required to be made annually the amount for delay for every three months or part thereof shall be computed only for the first disclosure violation. In case the noticee complies with the annual reporting requirements for a few years, such compliance will not result in a higher amount than would have otherwise be calculated for continuous violations.

3. The period of delay is to be calculated from the last day, when the disclosure ought to have been made, as required by the regulations.

4. If the disclosure for any violation is made after a period of more than 4 Quarters, then the value for 4 Quarters would be taken as maximum value for that specific disclosure violation.

5. If there are multiple transaction attracting disclosure requirement in a Quarter, then the value of highest change and max. delay may be considered for arriving at the base amount irrespective of count of violations.”;

(ii) for Table VIII and notes to Table VIII, the following shall be substituted:

**“Table-VIII**

<b>BASE AMOUNT - ALLEGED DEFAULT RELATING TO TRANSACTION SPECIFIC DISCLOSURES UNDER REGULATIONS 13(3), 13(4), 13(4A) AND 13 (6) OF 1992 PIT REGULATIONS [INCLUDES CORRESPONDING TRANSACTION SPECIFIC DISCLOSURES UNDER 2015 PIT REGULATIONS]</b>	
<b>PERCENTAGE OF SHAREHOLDING OR VOTING RIGHTS ACQUIRED OR DISPOSED BUT NOT DISCLOSED OR PERCENTAGE OF ENCUMBERED SHARES BUT NOT DISCLOSED, ETC.</b>	<b>BASE AMOUNT</b>
Less than 2%	Rupees 2 lakh + Rupees 7,500/- For every three months delay or part thereof

<b>BASE AMOUNT - ALLEGED DEFAULT RELATING TO TRANSACTION SPECIFIC DISCLOSURES UNDER REGULATIONS 13(3), 13(4), 13(4A) AND 13 (6) OF 1992 PIT REGULATIONS [INCLUDES CORRESPONDING TRANSACTION SPECIFIC DISCLOSURES UNDER 2015 PIT REGULATIONS]</b>	
<b>PERCENTAGE OF SHAREHOLDING OR VOTING RIGHTS ACQUIRED OR DISPOSED BUT NOT DISCLOSED OR PERCENTAGE OF ENCUMBERED SHARES BUT NOT DISCLOSED, ETC.</b>	<b>BASE AMOUNT</b>
2% to less than 5%	Rupees 4 lakh + Rupees 12,500/- For every three months delay or part thereof
5% to less than 10%	Rupees 7 lakh + Rupees 17,500/- For every three months delay or part thereof
10 % to less than 15%	Rupees 9 lakh + 0.1 % of the value of the holding not disclosed, etc. + Rupees 22,500/- For every three months delay or part thereof
15% and above	Rupees 10 lakh + 0.1 % of the value of the holding not disclosed, etc. + Rupees 25,000/- For every three months delay or part thereof

**Notes to Table VIII:**

1. In cases of disclosure related violations by connected persons or by key managerial persons, the BA may be increased by 25%.

2. Table VIII is not applicable in cases where the disclosure related violation is in combination with Fraudulent and Unfair Trade Practices or Insider Trading.

Explanation: Dealing while in possession of material financial or shareholding information may be treated as Insider Trading.

3. If the disclosure for any violation is made after a period of 4 Quarters, then the value for 4 Quarters would be the maximum value for that specific disclosure violation.

4. If there are multiple transactions attracting disclosure requirements in a Quarter, then the value of highest change and maximum delay may be considered for arriving at the Base Amount irrespective of the count of violations.”;

(iii) in Table IX, for the words ‘Foreign Institutional Investors’, the words ‘Foreign Portfolio Investors’ shall be substituted.

(iv) for Table X, the following table shall be substituted:

**Table-X**

<b>RESIDUARY BASE AMOUNT, FOR EACH UNIT OF ALLEGED DEFAULT FOR EACH APPLICANT OR ON JOINT LIABILITY BASIS (AS PER THE SUM OF APPLICABLE AMOUNTS IN CASE OF JOINT APPLICANTS)</b>					
<b>BASE AMOUNT WHERE:</b>	<b>NAME LENDERS<sup>#</sup> (I)</b>	<b>BODY CORPORATES &amp; INDIVIDUALS (WHEN NOT IN I, III-V) (II)</b>	<b>INTERMEDIARY INCLUDING PRINCIPAL OFFICERS (III)</b>	<b>MARKET INFRASTRUCTURE INSTITUTIONS INCLUDING PRINCIPAL OFFICERS (IV)</b>	<b>FUND RELATED DEFAULTS INCLUDING PRINCIPAL OFFICERS (V)</b>
<b>DEFAULTS RELATE</b>	RUPEES 10	RUPEES 40	RUPEES 20	RUPEES 2 CRORE	RUPEES 40

<b>RESIDUARY BASE AMOUNT, FOR EACH UNIT OF ALLEGED DEFAULT FOR EACH APPLICANT OR ON JOINT LIABILITY BASIS (AS PER THE SUM OF APPLICABLE AMOUNTS IN CASE OF JOINT APPLICANTS)</b>					
<b>BASE AMOUNT WHERE:</b>	<b>NAME LENDERS<sup>#</sup> (I)</b>	<b>BODY CORPORATES &amp; INDIVIDUALS (WHEN NOT IN I, III-V) (II)</b>	<b>INTERMEDIARY INCLUDING PRINCIPAL OFFICERS (III)</b>	<b>MARKET INFRASTRUCTURE INSTITUTIONS INCLUDING PRINCIPAL OFFICERS (IV)</b>	<b>FUND RELATED DEFAULTS INCLUDING PRINCIPAL OFFICERS (V)</b>
<b>TO FUTP OR IT, FALSE/ MISLEADING/ INCORRECT/ INCOMPLETE DISCLOSURES IN OFFER DOCUMENTS, OR FAILURE BY MARKET INFRASTRUCTURE INSTITUTIONS TO CONDUCT BUSINESS IN THE REQUIRED MANNER, (M)</b>	LAKHS	LAKHS	LAKHS		LAKHS
<b>VIOLATION INVOLVED AT (M) IS APPLICABLE AND, - SUCH VIOLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY - (i) RESULTED IN SUBSTANTIAL LOSSES TO OTHER PERSONS, OR (ii) CREATED SUBSTANTIAL LOSSES OR A SIGNIFICANT RISK OF LOSSES TO OTHER PERSONS OR (iii) AFFECTED THE INTEGRITY OF THE SECURITIES MARKETS (N)<sup>##</sup></b>	RUPEES 20 LAKHS	RUPEES 1 CRORE	RUPEES 30 LAKHS	RUPEES 4 CRORES	RUPEES 75 LAKHS
<b>DELAY IN REDRESSING INVESTOR GRIEVANCES (O)</b>	-	RUPEES 3 LAKHS	RUPEES 5 LAKHS	RUPEES 7 LAKHS	RUPEES 10 LAKHS
<b>RESIDUARY (P)</b>	RUPEES 3 LAKHS	RUPEES 10 LAKHS	RUPEES 10 LAKHS	RUPEES 1 CRORE	RUPEES 15 LAKHS

<sup>#</sup>Name Lenders include individual applicants who submit to the satisfaction of the IC or HPAC or Panel of WTMs that, without knowledge of the illegal activity, he/she was involved in the violation to the extent of permitting/lending the use of his/her securities account or name or facility to the key operator or core entities or intermediary or securities market infrastructure institution involved in such activity. In addition, name lenders will also include individuals who are identified as such either in the investigation report or in the show cause notice or in the order of the Adjudicating Officer/SEBI/Court/Tribunal. While arriving at the settlement terms, the IC or HPAC or Panel of WTMs may take into consideration any relevant factor as may be submitted by the applicant including

the annual income of the applicant, the past and present trading pattern, including the frequency and quantum of trades.

##Serious violations may also result in additional terms such as disgorgement of management fee or any other terms as may be decided by the IC, HPAC or the Panel of WTM's.

**Note to Table X:**

1. In case of applicability of more than one BA, the highest is to be considered.
2. In this Schedule, 'Principal Officer' means a person that may be covered under Section 27 of the Act as amended by the Finance Act, 2018.
3. 'Fund' means an Alternative Investment Fund (AIF), Mutual Fund (MF), Collective Investment Scheme (CIS) and any other pooling arrangement required to be registered with the Board.
4. Body Corporate in (II) in this Table includes, any applicant not covered in (I) and (III) to (V)."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./578/2021-22]

**Footnote:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on November 30, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/48, with effect from 1<sup>st</sup> day of January 2019.
2. The Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 were subsequently amended on: -
  - (1) 22<sup>nd</sup> July 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/24.